न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बिसौली बदायूँ

परिवाद सं०–1260/2016

श्रीमती नसरीन बनाम बच्चन आदि

दिनाँक–21–04–2017

पत्रावली पेश हुई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलवी के प्रश्न पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में परिवादिनी का कथन है कि परिवादिनी की शादी विपक्षी बच्चने के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। शादी में हैसियत के अनुसार दान–दहेज दिया था, लेकिन विपक्षी अत्यधिक दहेज लाने के लिए प्रताडित करने लगे तथा अतिरिक्त दहेज में पचास हजार रूपये नकद की माँग करते तथा माँग पूरी न होने पर परिवादिनी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते थे। परिवादिनी ने थाने पर रिपोर्ट लिखानी चाही, लेकिन रिपोर्ट नही लिखी गयी। थाने पर कोई कार्यवाही न होने पर यह परिवाद दायर किया गया है।

परिवादी की तरफ से धारा– २०० दं० प्र० सं० के अन्तर्गत स्वयं को व धारा– २०२ दं० प्र० सं० के अन्तर्गत पी० डब्लू०–१ नादिर, पी० डब्लू०–२ पुत्तन के बयान लेखवद्ध किये गये।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिकथनो व मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया रूप से विपक्षीगण बच्चन, सन्नो, असलम व मुज्जन के विरूद्ध धारा– 498A भा० दं० सं० व 4 दहेज प्रति० अधि०के अन्तर्गत अभियोग विचारण हेतु मामला बनता प्रतीतो होता है तथा उपरोक्त विपक्षी उपरोक्तानुसार तलव किये जाने योग्य है। अन्य विपक्षीगण के सम्बन्ध में परिवादपत्र, परिवादिनी के बयान धारा–200 व साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा–202 दं० प्र० सं० में घोर विरोधाभास होने के कारण तलव किये जाने हेतु कोई पर्याप्त आधार नही है।

आदेश

विपक्षीगण 498A भा० दं० सं० व 4 दहेज प्रति० अधि०के अन्तर्गत अभियोग विचारण हेतु दि०–26–05–2016 हेतु वास्ते हाजिरी तलव किये जायें। परिवादिनी आवश्यक पैरवी नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करे।

(कु० शाम्भवी यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट बिसौली
जनपद–बदायूँ।